BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXV 30th April 2014 No. 7

चैम्बर द्वारा संचालित निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र

(संक्षिप्त रिपोर्ट)

सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण ग्रहण करती प्रशिक्षु महिलाएं एवं प्रशिक्षण देती प्रशिक्षिकाएं

बिहार सरकार द्वारा विशेषकर महिला सशक्तिकरण हेतु कौशल एवं हुनर में वृद्धि के लिए काफी प्रयास किये जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए एवं अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु चैम्बर ने महिला सशक्तिकरण हेतु एक निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र, आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति, पटना के सहयोग से प्रारम्भ किया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्न है:-

1. दिनांक 10.02.2014 से प्रशिक्षण क्लास शुरू हुआ।
2. प्रशिक्षण का कार्य श्रीमती दुर्गा बनर्जी एवं सुश्री ममता सिन्हा के द्वारा हो रहा है। प्रशिक्षकों को वेतन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिया जाता है।
3. क्लास दो पालियों में चलता है • पहली पाली 10.30 पूर्वाहन से 1.10 अपराह्न तक • दूसरी पाली 1.30 अपराह्न से 3.00 अपराह्न तक।
4. प्रत्येक पालियों में 35-35 महिला प्रशिक्षु हैं। यानि 70 महिलाएँ प्रथम बैच में प्रशिक्षण ले रही हैं।
5. अभी तक कुल 176 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
6. अभी तक महिलाओं को निम्न 12 तरह का प्रशिक्षण दिया गया है:-
   • जांघिया • 6 कली का पेटीकोट • 4 कली का पेटीकोट • सिम्पल फ्रॉक • तकिया कवर • बेबी फ्रॉक • बेबी पैंट • नाईटी • पैजामा • सलवार • समीज • ब्लाउज ।
7. प्रशिक्षकों के अनुसार वर्तमान बैच का प्रशिक्षण 15 दिन बाद समाप्त होने वाला है। उसके बाद नया बैच प्रारम्भ होगा।
8. प्रथम बैच की परीक्षा दिनांक 24.4.2014 को हुई जिसमें 68 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुई।
9. प्रशिक्षण पूर्णत: नि:शुल्क दिया जाता है।
10. प्रशिक्षण केन्द्र के लिये भवन चैम्बर ने अपने हाते में ही नि:शुल्क उपलब्ध कराया है एवं 5 सिलाई मशीन एवं आवश्यक फर्निचर आदि भी चैम्बर ने ही नि:शुल्क उपलब्ध कराये हैं।

BCCI REGISTERS PROTEST AGAINST SEIZURE OF CASH

Members of the Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI) on 14.4.2014 apprised the Additional Chief Electoral Officer (ACEO) of the difficulties being faced by common men and businessmen following indiscriminate seizure of cash. They expressed displeasure that many of them were detained after frisking despite having valid documents to support the source of income.

The BCCI delegation led by its President P. K. Agrawal charged that poll authorities repeated reminders' to the income tax department that the confiscated cash has nothing to do with the 2014 Lok sabha polls, had fallen on deaf ears.

Inspecting officials were confiscating cash on suspicion even if it was meant for personal or business purposes, he said.

"The cash drawn from bank or for deposit is also being seized on one pretext or the other," he said.

"This has emboldened the morale of anti-social elements, and also adversely impacted the trade and industry in the state," he claimed.

The chamber body suggested that if a person was carrying cash drawn from the bank with photocopy of the cheque and PAN card, the money must neither be confiscated nor the carrier be detained.

"The person must not be detained if he is going to bank to deposit the money with photocopy of PAN card and pay-in slip," BCCI added.

The ACEO assured the delegation that suitable instructions to the officials concerned would be given to put a check on it.

Other participants of BCCI delegation were O. P. Sah, Former President, Subhash Kumar Patwari, Vice-President, Mukesh Kumar Jain, Hony. Treasurer and A. K. P. Sinha, Secretary General.

(Source : Hindustan times, 15.4.2014)

चैम्बर अध्यक्ष ने मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक–सह–पदस्थापन समारोह का किया उद्घाटन

मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक-सह-पदस्थापन समारोह का उद्घाटन करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बायें से पांचवें), चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी (बांयें से तीसरे), महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा (बायें से सातवें) एवं अन्य।

मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक–सह–पदस्थापन समारोह दिनांक 13 अप्रैल 2014 को स्थानीय बी० के० गार्डेन के प्रांगण में आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा भी विशेष आमंत्रण पर उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निवर्त्तमान अध्यक्ष श्री संजीव रंजन कुमार ने की।

वर्ष 2013–14 के कार्यों का प्रतिवेदन मोतिहारी चैम्बर के सह–सचिव श्री मनीष परासर ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रकाशित स्मारिका "चैम्बर प्रवाह"का विमोचन भी किया गया। नये सत्र 2014–15 के लिए अध्यक्ष के रूप में श्री महेश चन्द्र लाल एवं महासचिव के रूप में श्री ज्ञान स्वरूप तिवारी ने पद भार ग्रहण किया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने नये सदस्यों को सदस्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर प्रो० रामनिरंजन पाण्डेय को उत्कृष्ठ नागरिक तथा भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक श्री दिनेश कुमार को उत्कृष्ठ पदाधिकारी के रूप में सम्मानित किया गया।

स्मारिका "चैम्बर प्रवाह" का विमोचन करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बायें से चौथे) एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने संबोधन में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकलापों को प्रशंसनीय बताते हुए कहा कि मोतिहारी के उद्योग एवं व्यवसाय की प्रगति में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरा सक्रिय एवं संघर्षरत है। श्री अग्रवाल ने रेडक्रॉस को एक ताबूत (Coffin) उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।

90% VEHICLES OFF ROADS, LOSS TO BIZ

Seizure of cash from Bizmen lrks Trade Bodies

With election fever at its peak and the administration is on its vehicle seizure spree, traders and those in transport business rue huge losses they have suffered for the last two months. "The industry has become stagnant for around two months and facing a loss of almost 90%", said Bihar Motor Transport Federation President. There are around one lakh trucks, 40,000 passenger vehicles, excluding three-wheelers and including 25,000 buses, in the state. "However, almost 90% of the vehicles are off the roads now as the owners fear seizure for election duty," said President.

Besides, as per the information provided by the Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI), business and industry, including the flour mills, in the state is the worst hit in the name of election."April and May are the months of wheat transportation. But due to election flour mill owners are incurring a loss of almost 80% because farmers are not able to transport their cereals as almost all the trucks have either been seized by the administration or kept off the roads by the owners." said BCCI President P. K. Agrawal.

In view of the seizure of cash and the consequent inconvenience to people, the BCCI even lodged protest with additional chief electoral officer on 14.4.2014 and expressed resentment over the fact that common people, including businessmen were being harassed. Many of the businessmen carrying cash were detained despite having valid documents supporting their source of income. "It has become difficult for traders to move around carrying cash as only recently a man was detained for having some money in his possession. The money was not meant for election still the trader was arrested and cash was seized. Such incidents will affect trade and government revenue adversely." said BCCi Chief.

Besides, there has been minimal transaction of money for some days in the state as banks too are closed leading to scarcity of money in the market, he said and added that overall business in the state has been hit hard. ***(Source : The Times of India, 16.4.2014)***

CHINA KEEN TO BOOST TRADE TIES WITH BIHAR

Ambassador of the People's Republic of China in India Wei Wei on 16.4.2014 stressed the need for exploring immense opportunities existing in infrastructure, tourism, trade, commerce, education and health sectors in the country. He said several Chinese companies were interested in investing in Bihar.

Wei, who is here as part of an interactive session organised by Indian Chamber of Commerce (ICC), urged the latter to play the role of coordinator for facilitating business ties between Bihar and China.

Consul General of the people's Republic of China in Kolkata Wang Xuefeng accompanied Wei at the session, in which Vice Chairman of Bihar State Disaster Management Authority Anil K Sinda stressed for importing technical know how from China to mitigate natural disaster.

ICC North East Initiative representative M. K. Saharia, Resident Director Kamal Sahi, President of Bihar Chamber of Commerce P. K. Agrawal, Vice President Subhash Patwari, attended the session and unanimously voted for working closely with Chinese counterparts for promoting various sectors in the state.

(Source : Hindustan times, 17.4.2014)

सूबे में कारोबार पर संकट

वाणिज्य कर विभाग राज्य के 3000 से अधिक व्यापारियों का कारोबार ठप करने जा रहा है। इनमें से लगभग 1000 व्यापारियों का कारोबार ठप करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों में शेष अन्य व्यापारियों के कारोबार भी ठप कर दिए जाएंगे। यह कार्रवाई उन्हीं व्यापारियों पर होगा जो राज्य के बाहर से सामान मंगवाते हैं।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन व्यापारियों ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के मार्च महीने का टैक्स जमा नहीं किया है उन सभी व्यापारियों का रोड परमिट लॉक किया जा रहा है। साथ ही नोटिस भी दी जा रही है कि किन कारणों से उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है। विभाग की सूचना के आधार पर कई अंचल प्रभारियों ने टैक्स न देने वाले व्यापारियों का रोड परमिट लॉक कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि कई अंचल प्रभारी चुनाव कार्य में चले गए हैं। इस कारण वे अपने क्षेत्र के व्यापारियों का परमिट लॉक नहीं कर पाए हैं।

क्या है नियम : पिछले दिनों विभाग ने अधिसूचना जारी की थी कि जो व्यापारी विभाग के निर्धारित तीन शर्तों में से यदि किसी एक भी शर्त पर अमल नहीं करता है तो उसकी ऑनलाइन परमिट सुविधा खुद बंद हो जाएगी।

क्या हैं तीनों शर्त : • पिछले रिटर्न में दिखाए गए खरीद और उस दौरान इस्तेमाल किए गए परमिट, दोनों का मिलान सही होना चाहिए। अगर सही नहीं हुआ तो व्यापारियों को अलग से ऑनलाइन फार्म भरना होगा, उसके बाद ही परमिट निर्गत किया जाएगा • व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर (एडमिटेड टैक्स) का भुगतान नहीं किया है तो भी ऑलाइन परमिट खुद बंद हो जाएगा • व्यापारी द्वारा हर महीने दिया जाने वाला टैक्स का ढाई-तीन गुना बकाया हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी ऑनलाइन परमिट खुद बंद हो जाएगा।

क्या कहना है चैम्बर के अध्यक्ष का : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि परमिट लॉक करने से पहले प्रत्येक व्यापारी को अवसर दिया जाना चाहिए कि क्यों परमिट लॉक किया जा रहा है। आवश्यकता है कि व्यापारी का विश्वास जीता जाए और अगर इसी तरह अविश्वास का वातावरतण बना रहेगा तो भविष्य में राजस्व की हानि होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 09.4.2014)

टोल प्लाजा पर वाहनों को नहीं मिल रही कर में छूट

टोल प्लाजा सेंटर पर वाहनों को टैक्स में कोई छूट नहीं मिल रही है। जिले के वाहनों से भी शत-प्रतिशत टैक्स की वसूली हो रही है, जबकि नियम यह है जिस जिले में टोल प्लाजा है, उस जिले के वाहनों में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

पूरे राज्य में 6-7 जगहों पर टोल प्लाजा खोले गए हैं, जिनमें सासाराम के मोहनियां, गया के डोभी, पूर्णिया के दालकोला, गोपालागंज के चयनपट्टी, नवादा के रजौली, अररिया के कोसी ब्रिज, गयघाट व मोतिहारी के चकिया शामिल हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल प्लाजा पर टैक्स की वसूली के लिए विभिन्न एजेंसियों को अधिकृत किया है। बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का कहना है कि टोल प्लाजा पर नियम-कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। वाहनों से टैक्स की वसूली जरूर की जाए, लेकिन इसमें सरकारी नियम-कानून का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने सरकार से शिकायत की है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.3.2014)**

ऑटो पायलट सिस्टम से मिलेगा फार्म 'सी'

इस साल राज्य के व्यापारियों को कारोबार करने के लिए फार्म 'सी' मिलना और आसान हो जाएगा। वाणिज्य कर विभाग फार्म 'सी' जारी करने के लिए ऑटो पायलट सिस्टम शुरू करेगा। हालांकि विभाग ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह सिस्टम कब से चालू होगा मगर अधिकारियों का कहना है कि इस साल यह सिस्टम शुरू हो जाएगा।

यह व्यवस्था शुरू होते ही टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों की परेशानी बढ़ जाएगी। खासकर वैसे व्यापारी जो दूसरे राज्यों से सामान मंगवाकर बिहार में बेच रहे हैं। अब उन्हें रिटर्न फाइल करते समय सही-सही जानकारी वाणिज्य कर विभाग को देना होगा।

व्यापारियों को कैसे मिलेगा लाभ? : ऑटो पायलट सिस्टम शुरू होते ही व्यापारियों को फार्म 'सी' लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके माध्यम से कम्प्यूटर खुद व्यापारी द्वारा पूर्व में कारोबार के दिए गए रिटर्न से मिलान कर लेगा। कम्प्यूटर के मिलान के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो व्यापारियों को फार्म 'सी' मिलेगा अन्यथा कम्प्यूटर व्यापारी के आवेदन को रद्द कर देगा।

रद्द होने पर कैसे मिलेगा फार्म? : अगर किसी कारण से कम्प्यूटर व्यापारी के आवेदन को रद्द कर देता है तो व्यापारी संबंधित वाणिज्य-कर कार्यालय आकर अंचल प्रभारी के समक्ष अपना बही-खाता प्रस्तुत करेगा। पूरी जाँच के बाद अगर अंचल प्रभारी को विश्वास हो जाय कि सब कुछ सही है, तो व्यापारी को 'फार्म-सी' देने की अनुमति देगा। **(साभार: हिन्दुस्तान, 2.3.2014)**

ई-फाइलिंग पर स्पीड पोस्ट से भेजें आईटीआर-5

अगर आप आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरते हैं तो आईटीआर-5 की प्रति केवल स्पीड पोस्ट से ही विभाग के बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसोसिंग सेंटर को भेजना होगा। आईटीआर-5 या आयकर रिटर्न सत्यापन फॉर्म ऑनलाइन भरे गए रिटर्न के एवज में पावती के रूप में भेजा जाता है। करदाताओं को बेहतर सेवा देने लिए आयकर विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव किया है और फॉर्म साधारण डाक या विशेष पोस्ट बॉक्स नंबर पर भेजने से मना कर दिया है। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सीपीसी पर आईटीआर-5 की प्राप्ति न होने के संदर्भ में कोई शिकायत नहीं हो। अगर दस्तावेज सीपीसी को प्राप्त नहीं होता है तो करदाता के पास यह बताने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य होंगे। **(साभार: हिन्दुस्तान, 31.3.2014)**

मतदान खत्म होते ही आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने का निर्देश

चुनाव आयोग ने मतदान के बाद उन मतदान क्षेत्रों में लोकसभा का चुनाव के परिपेक्ष्य में गठित फ्लाइंग स्कवायड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, पुलिस विभाग, आयकर विभाग एवं एक्साइज विभाग की टीमों को भंग कर देने का निर्देश दिया है। मतदान व पुनर्मतदान की समाप्ति होते ही लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में आर्थिक नाकाबंदी की कार्रवाई स्थगित हो जायेगी। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया है। चैम्बर ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य सचिव तथा मुख्य आयकर आयुक्त से इस सम्बंध में लिखित आग्रह किया था। इस आशय के लिखित आग्रह में चैम्बर ने आर्थिक नाकांबदी जारी रहने से उद्यमियों, व्यवसायियों तथा सामान्य जनों को होने वाली परेशानियों का जिक्र कर, इस पर रोक लगाने का आग्रह किया था। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा है कि चुनाव आयोग का यह निर्णय स्वागत योग्य है। चैम्बर ने चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं अन्य विभागों को धन्यवाद दिया है।

(साभार : आज, 23.4.2014)

भारतीयों के काले धन के आकलन का पूरा हुआ काम

• सरकार ने तीस साल पहले शुरू कराया था कार्य • तीन संस्थानों को दिया गया था कार्य का अनुबंध • मार्च, 2011 में दिया गया था कालेधन की जांच का आदेश • संसद में पेश की जाएगी एक संस्थान द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट • भारत का विदेशों में जमा कालाधन 1400 अरब डालर तक होने का अनुमान • लेकिन सरकार के पास काले धन के बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं। **(विस्तृत: राष्ट्रीय सहारा, 3.4.2014)**

ऑनलाइन बिजनेस कंपनियों पर जल्द गिरेगी गाज

ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। वाणिज्य कर विभाग अब ऑनलाइन बिजनेस करने वाली बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई करने का मूड बना रहा है। विभाग विभिन्न कंपनियों के कार्यालय के साथ-साथ बिहार में विभिन्न शहरों के शाखा कार्यालय पर नजर रखना शुरू कर दिया है। फिलहाल, उन कुरियर कंपनियों पर जांच की कार्रवाई की जा रही है, जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियों का सामान ला रहे हैं। इस बाबत विभाग ने लगभग 9 कुरियर कंपनियों पर छापेमारी भी की है। बताया जाता है कि कुछ कुरियर कंपनियों से ऑनलाइन कंपनी के बारे में जानकारी भी मिली है। उम्मीद की जा रही है कि विभाग जल्द ही ऑनलाइन कंपनी के गोदाम पर छापेमारी कर उनपर पेनॉल्टी के साथ अन्य कार्रवाई भी करेगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.4.2014)**

महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ेगी आयकर छूट सीमा

करदाताओं को निराश करते हुए केंद्र सरकार ने आयकर से छूट की सीमा हर साल महंगाई में वृद्धि के हिसाब से बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वित्तीय मामलों संबंधी संसद की स्थायी समिति ने आयकर की छूट की सीमा को महंगाई में उतार-चढ़ाव से जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने प्रत्यक्ष कर संहिता यानी डीटीसी के संशोधित मसौदे में इसे जगह नहीं दी है। फिलहाल आयकर छूट की सीमा 2,00,000 लाख रूपये है। सरकार अगर संसदीय समिति की सिफारिश मंजूर कर लेती तो प्रत्यक्ष कर संहिता-2013 पारित होने पर महंगाई दर में इजाफे के मुताबिक इनकम टैक्स छूट सीमा में वृद्धि हो जाती। वित्त मंत्रालय का कहना है कि आयकर छूट सीमा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना कई वजहों से व्यावहारिक नहीं है। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि समिति ने यह भी स्पष्ट नहीं किया था कि आयकर छूट की सीमा को खुदरा महंगाई से जुड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से क्यों जोड़ा, थोक मूल्य सूचकांक से क्यों नहीं? अगर मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष या वस्तुओं की सूची में कोई बदलाव होता है तो जटिलता पैदा हो सकती है। इससे विसंगति पैदा हो जाएगी। इनकम टैक्स से छूट की सीमा को महंगाई में वृद्धि से इसलिए भी नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसका निर्धारण करदाताओं को दी जाने वाली अन्य तरह की कर राहतों सहित कई कारकों के आधार पर किया जाता है। आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाया जाएगा तो उसका असर केंद्र सरकार के राजस्व पर पड़ेगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 6.4.2014)**

EXCISE INSPECTORS' WEBSITE LAUNCHED

The Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax, Ranchi Zone, N. K. Bhujabal, launched an official website of the All India Central Excise Inspectors' Association (AICEIA).

Kishori Lal, Commissioner, Customs, Samir Kumar Sinha Working President of the national body of AICEIA also addressed the meeting.

(Details : Hindustan Times, 17.4.2014)

FINMIN SAYS E-FILERS' I-T ACCOUNTS NOT SECURE

E- filers of income tax (I-T) beware! Income tax online return accounts of certain people have been unauthorisedly accessed, the finance ministry has warned.

Replying to an RTI (right to information) query, the ministry said a process of "multifunctional authentication" has been designed and will be in place shortly to address any illegal access to e-filers accounts.

(Details : Hindustan Times, 8.4.2014)

फर्म में साझेदार पर नहीं होगा आयकर का भार

साझेदार कंपनियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल आयकर विभाग स्पष्ट तौर पर यह कहने जा रहा है कि अगर किसी कंपनी को कर से छूट मिल गई है तो उसकी आय को साझेदारों का मुनाफा मानकर साझेदारों से कर नहीं वसूला जा सकता। **(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 3.4.2014)**

आईपीओ के रिफंड नियम पर सवाल

आईपीओ के जरिए रकम जुटाने वाली कंपनियां अगर इसके इस्तेमाल पर पहले से तय रुख में परिवर्तन लाती है तो उसे शेयरधारकों को निकासी का रास्ता मुहैया कराने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस पर अस्पष्टता है कि सेबी के मौजूदा नियमों के तहत इसे कैसे लागू किया जाएगा।

विकास की रणनीति : • कंपनी अधिनियम के मुताबिक, सार्वजनिक निर्गम के मकसद में शेयरधारकों के मतदान के बाद ही बदलाव हो सकता है • असहमत शेयरधारकों के लिए निकासी की पेशकश होनी चाहिए • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नियमों के तहत यह कैसे काम करेगा, यह अभी साफ नहीं • अधिग्रहण संहिता पर इसका हो सकता है असर, ऐसे में ओपन ऑफर की नौबत आ सकती है। **(बिस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 3.4.2014)**

प्रतिभूति लेनदेन पर सभी राज्यों में एक समान कर लगाने का प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूतियों के लेनदेन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क की दरों को सभी राज्यों में एक समान करने का प्रस्ताव तैयार किया है। ऐसा करने के लिए उसने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार किया है। **संशोधन का मसौदा :** • वित्त मंत्रालय ने स्टाम्प अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए तैयार किया मसौदा • प्रतिभूतियों के लेनदेन पर एक्सचेंज विक्रेता से शुल्क की वसूली करेगा और इसे राज्यों को दे देगा। **(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.4.2014)**

बिहारियों के पैसे से विकसित राज्यों का विकास

साख जमा का औसत राष्ट्रीय स्तर से कम, 107059 करोड़ रुपए मेजे जा रहे बिहार से बाहर

राज्य में बैंकों की विभिन्न शाखाओं में 175803 करोड़ रुपए जमा हैं, जबकि इसकी तुलना में बैंकों द्वारा मात्र 68744 करोड़ रुपए ऋण दिए गए हैं। शेष 107059 करोड़ को दूसरे राज्यों में निवेश कर बैंक मोटी कमाई कर रहा है। बैंकों की भाषा में भले ही इसे साख जमा अनुपात कहें, लेकिन यह राशि बिहार और बिहारियों के लिए काफी अहम है। इस राशि का निवेश अगर स्थानीय स्तर पर हो जाए तो राज्य को किसी पैकेज की जरूरत ही नहीं पड़े। बिहार का साख जमा अनुपात महज 39.10 फीसदी है जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 80 फीसदी है। कई विकसित राज्यों में तो बैंक 100 फीसदी से अधिक ऋण दे रहा है, जिसमें तमिलनाडु में 123 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 109 फीसदी और महाराष्ट्र में 88 फीसदी है।

क्या है साख जमा अनुपात

बैंक द्वारा प्रति सौ रुपए जमा पर दिए गए ऋण, राज्य में साख जमा अनुपात करोड़ रुपए में

अवधि	जमा	ऋण	अनुपात
2009-10	98588	31679	32.13%
2010-11	113909	38723	33.99%
2011-12	138163	50704	36.70%
2012-13	161035	62293	38.68%
2013-14	175803	68744	39.10%

क्या कहता है आरबीआई : प्रति सौ रुपए के जमा पर बैंक 90 फीसदी तक ऋण दे सकता है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 5.4.2014)**

नीतियों-नियमों के बाद भी नहीं मिल रहा लोन

सूबे में एमएसएमई बैंकों की उदासीनता का शिकार

देश भर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई वृहत योजना एमएसएमई (माइक्रो, स्माल एंड मध्यम इंटरप्राइजेज) बीते वर्षों में बिहार में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाई है। एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हरसभंव वित्तीय मदद देने का दावा कर रहे हैं वही कई छोटे उद्यमी बैंक की कागजी कार्रवाईयों से परेशान हैं। हालांकि सरकार ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि वे एमएसएमई को ऋण देने में न्यूनतम डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्राथमिकता दें।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2013 में पटना जिले में एमएसएमई के तहत होनेवाले रजिस्ट्रेशन की सं० 700 के करीब पहुंच गई जबकि 2011 में यह आंकड़ा महज 517 था। एमएसएमई (मैन्यूफैक्चरिंग) और एमएसएमई (सर्विस) के दोनों कंपार्टमेंट में पटना जिले ने प्रगति तो की है परंतु दूसरे राज्य और राजधानी की तुलना में बहुत पीछे है। कृषि आधारित बिहार की अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव यहां भी दिखता है और ज्यादातर छोटे उद्यमी कृषि आधारित इंडस्ट्रीज में हाथ आजमा रहे हैं।

आंकड़ों में स्थिति

इंडस्ट्री	संख्या	निवेश (लाख में)	रोजगार सृजन
एग्रो बेस्ड	177	897.59	987
मेटल बेस्ड	104	367.40	575
लकड़ी बेस्ड	86	148.68	404
रबर, प्लास्टिक, पेट्रो	69	427.83	376
केमिकल बेस्ड	46	160.74	211
मिनरल बेस्ड	10	717.37	181

सभी बैंक नहीं ले रहे दिलचस्पी : यूको बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा अन्य बैंकों का रूख अपेक्षा के अनुरूप सकारात्मक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे बैंक आधिकारियों ने पहचान सार्वजनिक नहीं किये जाने की शर्त पर बताया

कि बिहार में छोटे उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋण अक्सर 'बैड लोन हो जाते हैं, इस कारण उन्हें बेहद सतर्क रहना पड़ता है। इस कारण भी ऋण के मामले में कई अभ्यर्थियों को उन्हें मना करना पड़ता है।

इन क्षेत्रों से अच्छी उम्मीद : • महिलाएं बुटिक, ब्यूटी सैलून, टिकुली आर्ट, इंब्राइडरी वर्क, फैशन डिजाइनिंग, सॉफ्ट ट्वायज आदि में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। • युवक फूड प्रोसेसिंग, चमड़ा उद्योग, रासायनिक उत्पाद, बिजली अप्लायंसेस, मोबाइल रिपेयरिंग आदि में बेहतर कर सकते हैं। **(साभार: दैनिक भास्कर, 19.4.2014)**

आईडीएफसी, बंधन को हरी झंडी

करीब दशक भर लंबे इंतजार के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दो नए बैंक लाइसेंस जारी करने का फैसला कर लिया। हालांकि इसके लिए होड़ में लगी 25 कंपनियों या संस्थानों में से उसने केवल दो कंपनियों 'आईडीएफसी' और 'बंधन' को लाइलेंस देने का निर्णय लिया है। इससे उन दिग्गज कारोबारी घरानों को मायूसी हो सकती है, जिन्होंने लाइसेंस के लिए अर्जी डाली थीं।

आरबीआई ने जारी किए बैंक लाइसेंस : • औद्योगिक घरानों को लाइसेंस से इनकार, इंडिया पोस्ट पर बाद में होगा विचार • 25 आवेदकों में केवल आईडीएफसी और बंधन को मिली बैंक लाइसेंस की सैद्धांतिक मंजूरी • मानदंड पूरे करने के बाद तय समय में परिचालन नहीं किया तो लाइसेंस होगा रद्द। **(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 3.4.2014)**

क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान के लिए मिलेगा ज्यादा समय

भुगतान में देरी पर लगने वाले शुल्कों को भी तर्कसंगत बनाने के निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि क्रेडिट कार्ड के बकाया के भुगतान में देरी की स्थिति में ग्राहकों से वसूले जाने वाले शुल्क को घटाकर तर्कसंगत बनाएं और बिल की तारीख तक इसमें छूट दें। आरबीआई की इस पहल से अब क्रेडिट कार्ड धारकों को भुगतान के लिए कुछ और समय मिलने की उम्मीद है।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 8.4.2014)

BANKS OVERRIDE CREDIT CARD PIN NORM

Some banks have been overriding the requirement of PIN (Personal identification number) at credit card swipe machines as merchants are yet to put their infrastructure in place. As a result, cardholders are finding that they can continue paying the old way, with a mere signature, in some outlets while in others they have to punch in their password as well. ***(Details : Time of India, 16.4.2014)***

कर्ज पर ब्याज दरों में विभेद स्वीकार्य नहीं

आरबी आई ने वाणिज्यिक बैंकों को दी कड़ी चेतावनी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने समान प्रोफाइल वाले ग्राहकों को अलग-अलग ब्याज दरों पर कर्ज जारी करने की व्यवस्था के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया है। बैंकों को आगाह करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस मामले में वह विभेदता को कतई स्वीकार नहीं करेगा। यदि व्यवस्था में सुधार होता है तो पुराने ग्राहकों को ज्यादा ब्याज देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

बैंकों की कर्ज नीतियों का अध्ययन करने के लिए आरबीआई की ओर से पूर्व डिप्टी गवर्नर आनंद सिन्हा की अध्यक्षता में गठित कार्य समूह की रिपोर्ट में बैंको को कर्ज देने की प्रक्रिया और नीतियों को ज्यादा पारदर्शी बनाने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक समान ग्राहकों से बैंकों द्वारा अलग-अलग ब्याज दरें वसूला जाना सर्वथा अनुचित है। ऐसा देखने में आया है कि खासतौर से आवास ऋण देते समय बैंक अक्सर नए ग्राहकों को कम ब्याज दरों में ऋण जारी कर देते है जबकि पुराने ग्राहकों से ऊंची दरों पर ब्याज वसूलते रहते हैं। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 12.4.2014)**

कसौटी पर फिर खरे नहीं उतरे निजी बैंक

चार फीसदी तक बढ़ सकता है बिहार का ऋण-जमा अनुपात

समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की अवधि में बिहार के ऋण-अनुपात (सीडी रेशियो) में चार प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार सीडी रेशियो चालीस फीसदी से पार हो सकता है। आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। इसी हफ्ते नए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक साख योजना तय होनी है।

सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वार्षिक साख योजना को अंतिम रूप दिया जाना है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार अपनी पुरानी नीति के तहत उन बैंकों में सरकारी पैसा जमा नहीं करेगी जिन बैंकों ने वार्षिक साख योजना के तहत लक्ष्य के हिसाब से काम नहीं किया। दो-तीन दिनों के अंदर वार्षिक साख योजना तय किए जाने को ले होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन-कौन से बैंक में सरकारी राशि जमा नहीं की जानी है। बैंकों के संबंध में वित्त विभाग को जो आरंभिक रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार निजी बैंकों का परफार्मेंस समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान भी बेहतर नहीं रहा। किसान क्रेडिट कार्ड के मामले में भी उनकी उपलब्धि बेहतर नहीं रही। ऐसा संभव है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एजुकेशन लोन टारगेट में बढ़ोत्तरी हो सकती है। पहली तिमाही में ही एजुकेशन लोन के लिए कैंप लगाए जाने का प्रस्ताव है। गृह ऋण के मामले में भी बैंको की उपलब्धि अच्छी नहीं रही।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में एक भी नयी योजनाएं शामिल नहीं होंगी। पुरानी योजनाओं के टारगेट बढ़ाए जा सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री विशेष रूप से शामिल होते रहे हैं। **(साभार: हिन्दुस्तान, 9.4.2014)**

बचत खाते में कम राशि पर नहीं लगेगा जुर्माना

रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे उन उपभोक्ताओं पर जुर्माना न लगाएं जो अपने बचत खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाते हैं। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। इसके चलते लोगों के सस्ते कर्ज का इंतजार बढ़ गया है।

आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद कहा कि रिजर्व बैंक ने खुदरा मंहगाई के मद्देनजर नीतिगत दरों को स्थिर रखने का फैसला लिया है। उपभोक्ता सुरक्षा पहल के तहत उन्होंने बैंकों से बचत खाते में न्यूनतम राशि न होने पर जुर्माना न वसूलने की सलाह दी। साथ ही निष्क्रिय बचत खाते पर भी जुर्माना नहीं वसूलने की हिदायत दी। सामान्यत: 6 माह तक खाते में किसी भी तरह का लेनदेन नहीं होने पर बैंक उसे निष्क्रिय खाते की श्रेणी में रख देते हैं। बचत खाते में न्यूतनतम राशि नहीं होने पर बैंक 100 से 350 रुपये तक वसूलते हैं। बैंकों की यह दरें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग हैं। इसी तरह निष्क्रय खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर भी बैंक एक तय जुर्माना वसूलते हैं। जबकि वह सेवा नहीं दे रहे होते हैं।

कितना लगता है जुर्माना : • 204 रुपये एसबीआई शहरी क्षेत्रों में जबकि 102 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति तिमाही आधार पर जुर्माना वसूलता है। • 100 रुपये लेता है कॉर्पोरेशन बैंक तिमाही आधार पर जुर्माना • 250 से 350 रुपये लेता है एचडीएफसी बैंक प्रति माह जुर्माना। **(साभार: हिन्दुस्तान, 2.4.2014)**

डीटीसी विधेयक में बदलाव का प्रस्ताव

आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक में महत्त्वपूर्ण बदलाव करने का प्रस्ताव किया है। इसमें 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 35 प्रतिशत कर लगाने और अगर किसी कंपनी की कुछ वैश्विक संपत्ति की 20 प्रतिशत संपत्ति भारत में है तो परोक्ष हस्तांतरण पर कर के मामले में कंपनी को जवाबदेह बनाया जाना शामिल है। साथ ही इसमें संसद की स्थायी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है। जिसमें समिति ने कर दायरा बढ़ाने की सिफारिश की थी।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 2.4.2014)

होम लोन उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी राहत

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने महिलाओं के लिए शुरू की गई विशेष होम लोन योजना की अवधि को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। वहीं निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने कम आमदनी वाले लोगों के लिए विशेष होम लोन योजना की शुरूआत की है।

रिजर्व बैंक की ओर से मौट्रिक नीति में नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करने के बाद निराश उपभोक्ताओं को दोनों बैंकों के इस कदम से बड़ी राहत मिली है। एसबीआई की महिलाओं के लिए विशेष होम लोन योजना के तहत 75 लाख रुपये के होम लोन पर 10.10 प्रतिशत और 75 लाख रुपये से अधिक पर 10.25 प्रतिशत

ब्याज देय होगा। जबकि आम ग्राहको के लिए 75 लाख रुपये तक के होम लोन पर यह दर 10.15 प्रतिशत और उससे अधिक राशि पर 10.30 प्रतिशत है।

बैंक के मुताबिक आम ग्राहको की तुलना में महिलाओं के लिए कम ब्याय दर पर होम लोन उपलब्ध कराने वाली यह योजना 31 मार्च को समाप्त हो गई थी लेकिन इस योजना की सफलता को देखते हुए इसकी अवधि को अगले आदेश तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का फायदा महिलाओं को अकेले आवेदक या सह आवेदकों में पहले आवेदक के रूप में मिलेगा। **(साभार: हिन्दुस्तान, 3.4.2014)**

नकली नोटों को चलन से बाहर करें बैंक

देश में नकली नोटों की पहचान कर उन्हें परिचालन से अलग करने में बैंकों की बड़ी भूमिका है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वह जाली नोटों के मामले में प्रणाली को कारगर बनाएं और काउंटर पर प्राप्त नोटों को मशीनों पर उचित रूप से प्रमाणित करने के बाद ही परिचालन में लाएं। देश में नकली मुद्रा के लगातार बढ़ते प्रचलन के सवाल पर वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि रिजर्व बैंक ने इस पर काबू पाने के लिये कई उपाय किये हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि 100 रुपए और इससे अधिक मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की मशीन पर प्रामाणिकता तथा उपयुक्तता की पूरी जांच के बाद ही उन्हें काउंटरों और एटीएम के जरिए पुन: जारी किया जाना चाहिए। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत इस बारे में सभी अनुसूचित बैंकों को निर्देश जारी किये गए हैं।

नए निर्देशों में क्या-क्या : • बैंकों से आम आदमी के हितों की रक्षा करते हुए जाली नोटों की सूचना देने तथा उनकी पहचान प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने को कहा गया है। • बैंको से कहा गया है कि वह अपनी प्रणाली को इस ढंग से कारगर बनाएं ताकि वे जाली बैंक नोटों का जोखिम उठाएं, न कि यह जोखिम आम आदमी उठाए जिनके पास अनजाने में नकली नोट आ जाते हैं। • बैंकों से कहा गया है कि एकल लेन-देन में यदि चार जाली नोटों का पता लगता है तो ऐसे मामलों की पूरी रिपोर्ट हर महीने पुलिस अधिकारियों को भेजनी होती है, लेकिन यदि किसी एक लेनदेन में पांच से अधिक जाली नोटों का पता चलता है तो ऐसे मामले में क्षेत्र के नोडल पुलिस स्टेशन अथवा पुलिस अधिकारियों के पास एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए।

होगी सख्ती भी : जहां भी जाली नोटों का पता लग जाता है लेकिन उन्हें जब्त नहीं किया जाता और उनकी सूचना नहीं दी जाती तो यह माना जायेगा कि संबंधित बैंक जाली नोटों के प्रचालन में जान-बूझकर शामिल है और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। **(साभार: दैनिक भास्कर, 7.4.2014)**

सोने के बदले कर्ज देने में विशेष सावधनी बरतें बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने के बदले कर्ज देने वाले बैंकों से ऐसा करते समय स्वर्णआभूषणों के बदले जमा किए जाने वाले लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी से जुड़े दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच परख के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आरबीआई ने कहा है कि स्वर्ण आभूषणों का कारोबार करने वाले कुछ व्यवसायियों द्वारा आभूषणों में हेरा-फेरी को देखते हुए इस मामले में एहतियात बरतने की जरूरत है। नए दिशा-निर्देशों में कहा है कि सोने के बदले कर्ज देने वाले बैंक अक्सर ऐसे दूसरे बैंको द्वारा जारी ऋण पत्रों और बैंक गारंटी पर विश्वास करके कर्ज दे देते हैं, जबकि ऐसे ऋण पत्र जारी करने वाले बैंकों की ओर से खुद गिरवी रखे स्वर्ण आभूषणों की सही जांच परख नहीं किए जाने के कई मामले सामने आए हैं। आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को कर्ज जारी करने के लिए अपनी निगरानी और जांच प्रक्रिया को और सख्त बनाना जरूरी है। इसके लिए उन्हें कर्ज लेने वाले ग्राहकों से पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और इसमें दिए गए ब्योरे को अन्य बैंकों से मिला लेना चाहिए। **(साभार: हिन्दुस्तान, 4.4.2014)**

आईटी उद्योग में बढ़ेगा निवेश!

बिहार सरकार ने अब निवेश जुटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को कई रियायतें देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 तक इस क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश को जुटाने का लक्ष्य रखा है।

(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.4.2014)

12 सुगर मिलों को मिले 10 करोड़ रुपये

गन्ना उद्योग विभाग ने सभी सुगर मिलों की सहायक अनुदान राशि पर स्वीकृति दे दी है। 12 सुगर मिलों को विभाग ने 10, 11, 81, 039 राशि का भुगताव किया है। विभाग ने किसानों से खरीदे गये गन्ने पर सुगर मिलों को प्रति क्विंटल पांच रूपये अनुदान उपलब्ध कराया है। बिहार के 11 और यूपी के एक सुगर मिल को एक सप्ताह में गन्ना किसानों को राशि भुगतान करने का निदेश दिया गया है।

अनुदान राशि/चीनी मिल

हरिनहर सुगर मिल	जय श्री सुगर मिल	तिरुपति सुगर मिल
19998999	8162564	13703964
न्यू स्वदेशी सुगर मिल	सिधवलिया सुगर मिल	रीगा सुगर मिल
13978990	10217174	8532547
सासामुसा सुगर मिल	एचपीसीएल सुगोली	विष्णु सुगर मिल
4635859	3270562	5542976
हसनपुर सुगर मिल	एचपीसीएल लौरिया	बजाज हिंदुस्तान सुगर मिल
7527624	3732766	1879014

(साभार: प्रभात खवर, 9.4.2014)

नए कंपनी कानून से समस्याएं

1 अप्रैल, 2014 से नए कम्पनी कानून लागू होने से उद्योग जगत को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, विशेषज्ञों की राय में जो समस्याएं हैं वे इस प्रकार है : • विशेष उद्देश्य कम्पनी को कर्ज देने में जोखिम बढ़ा • वैश्विक चलन के विपरीत है ऑडिटरों में रोटेशन • सम्बन्धित पक्ष के लेनदेन पर नजर रखने की होगी चुनौती • अनुपालन पर प्रबन्धन को देना होगा अधिक समय

क्या आप जानते हैं? • **कानून बनाना:** नए कंपनी कानून का मसौदा तैयार करने में सरकार को 10 वर्षों का समय लगा। कंपनी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर पहले अवधारणा पत्र को अगस्त 2004 में रखा गया था। • **नया कानून :** हालांकि नए कंपनी कानून को बनाने में सरकार को काफी समय लगा लेकिन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसका अध्ययन करने के लिए 1 अप्रैल 2014 को इसे प्रभावी होने से पहले महज 5 दिन का समय दिया गया। • **ब्रिटेन का कंपनी कानून:** ब्रिटेन में नए कंपनी कानून 2006 को लागू करने में दो वर्ष लगे और उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। • **निजी क्षेत्र की ऑडिटिंग:** नए कानून के तहत निजी कंपनियों की अब आंतरिक ऑडिट करने की जरूरत होगी। • **निदेशकों का बोझ:** केवल सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में निदेशकों को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की कमान अपने हाथ में लेनी होगी। जबकि अन्य सभी कंपनियों के मामलों में ऑडिटरों को ऐसा करना होगा। • **बैक-अप योजना:** देश के बाहर सर्विस सेंटरों में अपने बहीखातों को मेंटेन करने वाली विदेशी कंपनियों की सहायक इकाइयों को अब देश में स्थित सर्वर पर डेटा का बैक-अप रखना होगा। • **निवासी निदेशक:** सभी कंपनियों को अब एक निवासी निदेशक (182 दिनों से अधिक भारत में निवास) रखना होगा। • **निजी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक नहीं:** निजी कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की जरूरत नहीं होगी। • **धारा 8 की कंपनियां:** गैर लाभकारी कंपनियाँ (पहले ये धारा 25 के तहत आती थीं) को धारा 8 की कंपनियां कहा जाएगा। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, पटना दिनांक 7.4.2014)**

मीटर सही होने का आधार बताए बोर्ड

फास्ट इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाकर अधिक बिजली बिल वसुलने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से मीटर के सही होने का आधार बताने को कहा है। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व न्यायमूर्ति विकास जैन की पीठ ने बोर्ड से अपना जवाब 29 अप्रैल को देन को कहा है।

हाईकोर्ट का आदेश : • पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से किया जवाब तलब 29 अप्रैल तक दी मोहलत • बाजार में कई कंपनियों के मीटर उपलब्ध हैं। किसी खास कंपनी से ही क्यों की जा रही मीटर की खरीदारी • उपभोक्ताओं के घरों में लगाये जाने से पहले यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि मीटर सही है या नहीं।

याचिकाकर्ता की शिकायतें : • बिजली कंपनी घरों में फास्ट मीटर लगा रही है जो पांच से छह गुना अधिक बिल दिखा रहा • कंपनी कई ऐसे मदों में पैसों की वसूली कर रही, जिनके बारे में लोगों को पता तक नहीं • सक्षम व्यक्ति नहीं करता मीटर रीडिंग, कई बार वह अपनी मर्जी से रीडिंग कर लेता है।

(विस्तृतः राष्ट्रीय सहारा, 4.4.2014)

मीटर बदलवा लें अन्यथा कार्रवाई के लिए रहें तैयार

बिना रनिंगवाले मीटर से उपभोक्ता रहें सावधान। मीटर बदलवा लें, अन्यथा समय सीमा के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएमडी के निर्देश के बाद अभियांताओं ने बताया कि मीटर बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वैसे पुराने मैन्युअल काले मीटर व एमको डिजिटल मीटर जो लोड कांरट शो नहीं कर रहा है, उसे दो माह के भीतर मई तक हर हाल में बदल दिया जाएगा। अभियंताओं ने बताया कि मीटर बदलने की प्रक्रिया ट्रांसफार्मर वाइज किया जाएगा।

सभी उपभोक्ताओं को मीटर में एक उपभोक्ता नम्बर दिया जाएगा, जिसमें डिविजन, सबडिविजन, सेक्शन, फीडर, पीएसएस समेत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जानकारी मिल सकेगी। इससे पहले केवल उपभोक्ता कोड दिया जाता था, जिससे केवल डिविजन का ही पता चल पाता था। **(साभारः हिन्दुस्तान, 4.4.2014)**

नए बिजली मीटर के नहीं देने होंगे पैसे

राजधानी में पेसू की ओर से बदले जाने वाले बिजली मीटर के लिए उपभोत्ताओं से पैसे नहीं लिए जाएंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (पेसू) ने अपने पैसे से राजधानी में खराब पड़े नए इलेक्ट्रिक मीटर एवं पुरान इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटर को बदलने का काम शुरू किया है। कंपनी के जीएम एसएसपी श्रीवास्तव ने कहा ही मीटर बदलने के लिए उपभोक्ताओं से पैसा नहीं लिया जा रहा है।

कर्मचारी यदि पैसे की मांग करते हैं, तो उपभोक्ता सीधे कंपनी के 0612-2234020 नंबर पर फोन कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी पटना के उपभोक्ता पश्चिमी पटना के अधीक्षण अभियंता दिलीप कुमार सिंह के मोबाइल नंबर- 7763814049 एवं पूर्वी पटना के उपभोक्ता पूर्वी पटना के अधीक्षण अभियंता रंजीत कुमार सिंह के मोबाइल नंबर- 7763814116 पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते है। **(साभार: दैनिक भास्कार, 10.4.2014)**

बगैर यूनिट उठे बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा!

राजधानी के बिजली उपभोक्ताओं को अब बगैर यूनिट का बिल नहीं दिया जाएगा। बिजली विभाग के नए नियम के अनुसार उपभोक्ता यूनिट के आधार पर ही बिल चुकाएंगे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, यह नियम एक अप्रैल से ही लागू हो गया है।

इसके तहत मीटर खराब होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (पेसू) के कार्यालय में आवेदन देना होगा। उसके बाद पेसू कर्मचारी 24 घंटे के अंदर मीटर बदल देंगे।

अब तक मिलता है एवरेज बिल : अब तक व्यवस्था में मीटर खराब होने पर एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 40 यूनिट का एवरेज बिल भेजा जाता रहा है। दो किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को 60 एवं तीन किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को 80 यूनिट का बिल भेजा जाता है। वहीं नए मीटर में एक माह के अंदर हुई बिलिंग को आधार मानकर मीटर खराब होने की तारीख से एवरेज बिलिंग की जाती है।

क्यों होती है एवरेज बिलिंग : बिजली चोरी रोकने को लिए दो वर्ष पहले विभाग द्वारा बदला गया एक लाख इलेक्ट्रॉनिक मीटर खराब हो गया है। इससे लाखों उपभोक्ताओं की एवरेज बिलिंग की जा रही है, लेकिन एक अप्रैल से नियम लागू होते ही विद्युत विभाग ने दो लाख नया मीटर लगाने का एलान कर दिया। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी संदीप पैंड्रिक ने 31 मई से पहले साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जीएम संतोष कुमार मल को। लाख खराब हुए इलेक्ट्रॉनिक मीटर एवं 1 लाख मैकेनिकल मीटर बदलने का आदेश दिया है, लेकिन 8 दिन बाद महज 6 हजार मीटर बदला है।

कंपनी देगी पैसा : साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यालय में जीएम एसएसपी श्रीवास्तव के नेतृत्व में समीक्षा बैठक की गई। जीएम ने बताया कि मीटर लगाने का पैसा उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा। कंपनी सिंगल फेज मीटर लगाने के लिए 165 एवं थी फेज मीटर के लिए 193 रुपया देगी। वहीं जीएम ने बैठक में उपस्थित सभी 10 अंचलों को एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को मीटर लगाने एवं किस ट्रांसफार्मर पर कितना लोड है, इसकी गिनती टारगेट के अनुसार करने का निर्देश दिया। **(साभारः दैनिक भास्कार, 12.4.2014)**

Member of Parliament are execute following work under Local Area Development Scheme (MPLADS)

SUBJECT	WORKS
Drinking water Facility	*1. Provision of drinking water in station premises. 2. Tube wells. 3. Water tanks. 4. Hand pumps. 5. Pipe drinking water supply.*
Electricity Facility	*1. Provision of Solar lighting at Stations. 2. Projects for lighting of public streets and places. 3. Projects for Govt. Agencies for improvement of electricity distribution infrastructure.*
Roads, Pathways & Bridges	*1. Construction of roads, approach roads, link roads & pathways to Rly. Station. 2. Construction of circulating Area of Rly. Station. 3. Provision of Escalator / Travellator at Rly. Station. 4. Construction of Foot over Bridge at Rly. Station. 5. Construction of foot paths. 6. Construction of culverts and bridges. 7. Level crossing at unmanned railway crossing.*
Sanitation and public Health, Amenities for physically challenged persons	*1. Construction of additional toilets for passengers. 2. Amenities for physically challenged persons at station (like ramps, separate toilet etc.) 3. Drains and gutters for public drainage. 4. Public toilets and bathrooms. 5. Garbage collection and night soil disposal Systems, earth movers including vehicles for local bodies. 6. Other works for sanitation and public health.*
Platform/ Platform Shelters	*1. Construction of platform at Rly. Stn. 2. Construction of platform shelters at Rly. Stn. Premise.*

* *Implementation will be done as per provision of Railway under guidelines of MPLADs*

* *Whenever any work is being done through MPLAD and Rly . Both then accountal of expenditure will be maintained separately.*

* *Foundation laying, completion & inauguration plages (Steel/ metal) bearing Name of sponsored Hon'ble MP 's should permanently be fixed at work site if there is any cost sharing by MPLAD/ Rly.*

(Source : ECR, Hajipur)

ड्राई पोर्ट से बढ़ेगा निर्यात

बिहार में इस साल के आखिर तक तैयार होने वाले ड्राई पोर्ट से राज्य के कारोबारियों को परिवहन लागत के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस पोर्ट के बनने के बाद परिवहन पर होने वाले खर्च में 50 फीसदी तक की कमी आने की उम्मीद है। साथ ही, कारोबारी संगठनों के मुताबिक इससे बिहार को विदेशी बाजारों में दस्तक देने में भी सहूलियत होगी और उद्योग के लिए अवसर बढ़ेंगे। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक पटना के नजदीक बिहटा में निर्माणाधीन यह ड्राई पोर्ट इस साल के आखिर तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। करीब 24 एकड़ जमीन पर बन रहे इस ड्राई पोर्ट का निर्माण नई दिल्ली की कंपनी प्रिस्टीन लॉजिस्टिक कर रही है। इस कंपनी ने इस पोर्ट के निर्माण के लिए 2012 में बिहटा चीनी मिल का अधिग्रहण किया था। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 16.4.2014)**

विनम्र निवेदन

माननीय सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के सदस्यता शुल्क भुगतान हेतु चैम्बर की ओर से विपत्र भेजा गया है। विपत्र में यह भी उल्लेखित है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के सदस्यता शुल्क (विपत्र के साथ संलग्न सदस्यता शुल्क दर तालिका के अनुसार आप जिस श्रेणी में आते हैं, वह राशि) के साथ गत वर्ष के बकाया सदस्यता शुल्क, यदि कोई है, के जोड़ पर 12.36% Service Tax जोड़कर जो राशि बनती है, उतने का ही चेक/ड्राफ्ट/नकद भुगतान करना है। इसके बावजूद, बहुत से सदस्य वगैर सर्विस टैक्स जोड़े, गत वर्ष की भांति इस वर्ष का भी Subscription भेज रहें हैं, जिससे उन्हें दोबारा चैम्बर कार्यालय आना पड़ रहा है और उन्हें असुविधा हो रही है ।

अत: सदस्यों से अनुरोध है कि वर्त्तमान वर्ष के सदस्यता शुल्क के साथ गत वर्ष के बकाया सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त उसमें 12.36% Service Tax जोड़कर ही चैम्बर कार्यालय में चेक/ड्राफ्ट/नकद भेजें ।

इसके अतिरिक्त सदस्यों को यह भी स्मरण दिलाना है कि चैम्बर के नाम में परिवर्त्तन वर्ष 2012 में ही हो चुका है और इसकी सूचना सदस्यों को पहले ही दी जा चुकी है। अत: चेक या ड्राफ्ट **BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES** के नाम में ही भेजने की कृपा करें।

माल लदान में देश में दूसरे स्थान पर

हर साल कीर्तिमान बना रहा पूर्व मध्य रेल : जीएम

देश की आर्थिक व्यवस्था की मजबूती में माल लदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल ने 100 मिलियन टन का रिकॉर्ड लदान कर भारतीय रेल में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह सब रेलकर्मियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से संभव हुआ। यह कहना है पूर्व मध्य रेल के जीएम मधुरेश कुमार का। वह श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 59वें रेल सप्ताह समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अच्छे कार्य के लिए रेलकर्मियों की सराहना की तथा 335 लोगों को सम्मानित किया।

परिचालन में कम सुधार : जीएम ने कहा कि पूर्व मध्य रेलवे जोन ने 12 वर्षों की यात्रा पूरी की है। हर वर्ष नये कीर्तिमान बना रही है। पूर्व मध्य रेल को 2013-14 में 11500 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है।

उन्होंने कहा कि रेल बंदी व कोच की कमी समेत अन्य व्यवधानों के बावजूद पूर्व मध्य रेल जोन देश में यात्री अर्जन के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि ट्रेनों के परिचालन में सिर्फ पांच प्रतिशत ही सुधार हुआ है।

(विस्तृत: प्रभात खबर, 12.4.2014)

सिंगल फेल 165 और थ्री फेज मीटर 193 रुपए में

बिजली कंपनी ने पुराने मीटर बदल कर नए डिजिटल मीटर लगाने का रेट तय कर दिया है। सिंगल फेज के मीटर के लिए 165 रुपए और थी फेज मीटर के लिए 193 रुपए का रेट लगेगा।

यह राशि मीटर लगाने में इस्तेमाल होने वाले बॉक्स व सर्विस वायर के लिए ली जाएगी। बिना लकड़ी के बॉक्स का मीटर 110 रुपए में लगेगा। डिजिटल मीटर के लिए राशि नहीं ली जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.4.2014)

जिले में बनेंगे सात नए पावर सब स्टेशन

पटना जिले में सात नए पावर सब-स्टेशन बनेंगे। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है। घोसवरी, अथमलगोला, धनरुआ, नौबतपुर, पालीगंज, केवड़ा और बेलदारीचक में पावर सबस्टेशन प्रस्तावित है।

(विस्तृत: राष्ट्रीय सहारा, 8.4.2014)

चैम्बर के भूतपूर्व महामंत्री शरत कुमार अग्रवाल का निधन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के भूतपूर्व महामंत्री शरत कुमार अग्रवाल के फरीदाबाद में निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि स्व० अग्रवाल ने चैम्बर के सत्र 1984-85 एवं 1985-86 में महामंत्री के पद पर रहकर राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय को अपनी बेहतर सेवाएं प्रदान की थी। स्व० अग्रवाल के महामंत्रीत्व काल में चैम्बर का डायमंड जुबली का भव्य समारोह हुआ था जिसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन उप राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमण के कर कमलों द्वारा हुआ था। साथ ही दिनांक 31 जनवरी 1986 को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गर्वनर श्री आर० एन० मलहोत्रा ने पटना में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की थी तथा चैम्बर सदस्यों के साथ भी सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ चैम्बर प्रांगण बैठक की थी। उनके महामंत्रीत्व काल में ही दिनांक 20 मई 1985 को चैम्बर भवन की नींव रखी गई थी, जो चैम्बर के सदस्यों में आज भी यादगार है।

उन्होंने कहा कि स्व० अग्रवाल अपनी कर्तव्यपरायणता, सेवाभाव एवं मृदुभाषी व्यक्तित्व एवं मिलनसार प्रवृति के कारण चैम्बर सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने अपनी जो अमिट छाप छोड़ी है, वह हमसबों के लिए चिरस्मरणीय रहेगी। उनका जीवन सदैव मानवता एवं सामाजिक सेवा के लिए समर्पित रहा।

चैम्बर ईश्वर से प्रार्थना करता हैं कि दिवंगत आत्मा को शन्ति प्रदान करें एवं उनके शोक संतप्त परिवार को हुई इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।

उद्योगपति सत्यदेव प्रकाश सिन्हा का निधन

उद्योगपति सत्यदेव प्रकाश सिन्हा का दिनांक 11 अप्रैल 2014 को नागपुर में निधन हो गया। उनके निधन पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने गहरा शोक प्रकट किया है।

चैम्बर अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने कहा कि श्री सिन्हा राज्य की प्रतिष्ठित सीमेंट कंपनी कल्याणपुर सीमेंट के चेयरमैन के साथ- साथ होटल मौर्या के प्रमुख थे। वे प्रसिद्ध उद्योगपति थे। उनकी कई औद्योगिक इकाइयां बिहार में हैं। वे और भी कई संस्थाओं से जुड़े थे। उनका जीवन सदैव मानवता एवं सामाजिक सेवा के लिए समर्पित था। खासकर राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए उनका प्रयास सराहनीय रहा है।

पेसू नहीं कर पा रहा ग्रिडों का बेहतर इस्तेमाल

राजधानी में ग्रिडों का जाल बिछ गया है, लेकिन पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान (पेसू) इन ग्रिडों का इस्तेमाल करने में विफल नजर आ रहा है। पावर सब स्टेशनों की क्षमता भी बढ़ा दी गई है, पर नए-नए फीडरों का निर्माण नहीं हो सका। पेसू खगौल, जक्कनपुर और गाय घाट ग्रिड का ही ठीक तरह से इस्तेमाल कर पा रहा है।

(विस्तृत: दैनिक जागरण, 9.4.2014)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296